न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : गोपाल सैनी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील सं. – 11/2018

सी.आई.एस. नम्बर – 11/2018

1. आसम खां पुत्र नसरू उम्र करीब 43 साल निवासी नांगल खानजादी का बास थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ..... **अपीलार्थी/अभियुक्त**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक लक्ष्मणगढ जिला अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 21.02.2018 फौज.दा.प्र.संख्या 53/2007 सरकार बनाम आजम खां, अपराध अन्तर्गत धारा 354 भा.द.सं. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ, पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सोनी, आर.जे.एस.

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. श्री अपर लोक अभियोजक सरकार की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक–27.03.2026**

01. अपीलार्थी–अभियुक्त आसम खां की ओर से यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 21.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया हंसीरा ने एक परिवाद धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत थाना लक्ष्मणगढ पर इस आशय का प्रेषित करवाया कि 10.10.2006 को सायं 8 बजे मैं अपने खेत से अने पति को खाना देकर घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुलजिम आसम ने मुझे अकेली देखकर बुरी नीयत से से मेरी इज्जत लूटने की नीयत से मेरे मुंह में रूमाल भर दिया और जबरदस्ती कोड़ी में भरकर जमीन पर पटक दिया तथा मेरा कुरता फाड़ दिया और मेरे सीने को दबाने लगा तथा मेरे गालों का जबरदस्ती चुम्बन लेने लगा तथा मेरी

इज्जत लूटने एवं बुरा काम करने की नीयत से मेरी सलवार का नाड़ा तोड़ दिया तथा सलवार को नीचे खेंचकर अश्लील हरकतें करने लगा। जिस पर मैंने मौका पाकर मुंह में घुसा हुआ रूमाल निकाल कर जोर से चिल्लाने लगी तो आवाज सुनकर आस–पास के लोग जो खेतों में पानी दे रहे थे, काडू, साहून आ गये, उनको देखकर मुलजिम आसम मेरे गले में पहनी हुई सोने की हंसली को जबरन छीनकर भाग गया। जिस वाके की रिपोर्ट उस दिन रात्रि हो जाने के कारण सुबह 11.10.2006 को थाना लक्ष्मणगढ़ में मेरे पति को साथ लेकर रिपोर्ट करने आयी तो पुलिस ने रिपोर्ट लेकर रख ली और कहा कि कार्यवाही करेंगे और मुझे घर वापस भेज दिया और मैं जब आज सुबह यानि 12.10.2006 को कार्यवाही करवाने बाबत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत से आदेश लेकर आओ, जिससे इश्तगासा पेश किया ..... इत्यादि पर थाना लक्ष्मणगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 296/2006 दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त आसम खां के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्त को धारा 354 भा.द.सं. के आरोप सारांश की विशिष्टियां पृथक से विरचित कर सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 मोहनसिंह, पी.ड. 2 हंसीरा, पी.ड. 3 काडू, पी.ड. 4 जुम्मे खां, पी.ड. 5 छुटमल, पी.ड. 6 लक्ष्मीकान्त, पी.ड. 7 साहून, पी.ड. 8 नसरू, पी.ड. 9 पहलू के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 4 को प्रदर्शित कराया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया व साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया।

06. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को अभियुक्त को धारा 354 भा.द.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

07. बहस अपील सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए तर्क किया कि अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण

अपीलार्थी के विरूद्ध संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, क्योंकि प्रथम तो परिवादिया ने जरिए अदालत इश्तगासा के रिपोर्ट दर्ज करवायी है, जिसमें सोने की हंसली को गले से तोड़कर ले जाना बताया गया है जो पुलिस अनुसंधान में झूठा पाया गया है, जिससे केस अपने आप में झूठा संदेहास्पद हो जाता है। परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है कि आसम ने रास्ते में घेर कर मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया कोड़ी में भरकर शरीर दबाया लज्जा भंग की, हंसली को ले गया, जबकि न्यायालय में बयानों में कहती है कि पहले मुझे कोड़ी में भरकर पटक दिया, कुर्ता फाड़ दिया, गाल खाये जो कथनों में गंभीर विरोधाभास है। परिवादिया की ओर से पेश किये गये गवाहन ने अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं किया है तथा परिवादिया ने एफआईआर 20–25 दिन देरी से दर्ज करवायी है, जिसमें देरी का कारण पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करना बताया है, जबकि बयानों में देरी का कारण राजीनामा करने की कहना बताती है कि आसम के पिता ने राजीनामा करने से इनकार कर दिया, जिससे भी घटना संदेहास्पद हो जाती है। जबकि परिवादिया ने कानूनी सलाह लेकर आपसी डोल तोड़नेकी रंजिश के कारण झूठा मनगढन्त तथ्य अंकित कर यह इश्तगासा के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादिया बयानों में जमीन पर पटकने व गाल को दांत से काटने का कथन करती है, जबकि एफआईआर में मात्र आते ही मुंह में कपड़ा ठूंसना व शरीर दबाने का कथन अंकित किया है। प्रकरण का मुख्य गवाह पी.ड. 5 छुटमल अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा गवाहन काडू व साहून हितबद्ध साक्षी है जिनके बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है जिससे भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में भारी भूल की है, अतः अपीलार्थी–अभियुक्त की अपील स्वीकार की जाकर उसे दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

1. **WLC (Raj.) UC 2002 Page 238**
2. **WLC (Raj.) UC 2002 Page 90**
3. **WLC (Raj.) UC 2017(2) Page 195**

08. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये विद्धान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश को विधिसम्मत होना बताते हुए

अपील खारिज करने का निवेदन किया।

09. दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से परिवादिया हंसीरा पी.ड. 2 द्वारा अपने सशपथ बयानों में जब वह अपने पति को खेत पर खाना देकर वापस आ रही थी तो रास्ते में हाडा के खेत के पास आयी तो आसम ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लेना व उसे पकड़ कर उसके गालों को काटने लगा व सीने को दबाने लगा और उसे कोड़ी में भरकर जमीन पर पटक लेना तथा जब वह जोर–जोर से चिल्लाई तो उसके मुंह में रूमाल ठूंस देना तथा उसकी आवाज सुनकर काडू और साहून रास्ते में आये तो वह उसके कपड़े फाड़कर तथा उसकी सोने की हंसली लेकर भाग जाना बताया है। जबकि परिवादिया ने उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 में विपरीत कथन अंकित किये हैं। एक ओर जहां परिवाद में उसके द्वारा पहले उसके मुंह में रूमाल भर देना कहा है वहीं परिवाद में पहले कोडी में भरकर जमीन पर पटक देना गाल काटने व सीने को दबाने का कथन किया है तथा उसके बाद कुर्ता फाड़ देना, जबकि बयानों में उसके चिल्लाने पर काडू व साहून आये तब उसके कपड़े फाड़ना कहती है। ठीक इसी प्रकार आगे जहां परिवाद में सलवार का नाड़ा तोड़ना व सलवार को नीचे खेंचकर अश्लील हरकते करना अंकित किया है, वहीं बयानों में उसके द्वारा ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उसकी सलवार का नाड़ा तोड़कर सलवार को नीचे खेंचकर अश्लील हरकत की हो। इसके अतिरिक्त परिवादिया ने जहां परिवाद व बयानों में अभियुक्त द्वारा उसकी सोने की हंसली को छीनकर भाग जाना बताया है, वहीं अनुसंधान अधिकारी ने इस तथ्य को सही होना नहीं माना है। इसके साथ ही प्रकरण में अनुसंधान के दौरान परिवादिया का कोई फटा हुई कुर्ता/कपड़े आदि भी जप्त नहीं किये गये हैं और न ही परिवादिया ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन किया है कि उसने अनुसंधानकर्ता साक्षी को उसके फटे हुए कपड़े जप्त कराये हों, जबकि अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.ड. 1 मोहन सिंह ने भी परिवादिया के घटना में फटे हुए कुर्ता/कपड़े जप्त करने की साक्ष्य नहीं दी है। अतः परिवादिया हंसीरा के बयानों में घटना को लेकर गंभीर विरोधभासी कथन किये हैं, जिससे अभियोजन कहानी संदिग्ध हो जाती है।

10. साक्षी अनुसंधानकर्ता साक्षी मोहनसिंह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 10.10.2006 की थी और थाने पर रिपोर्ट 06.11.2006 को दर्ज हुई थी। यह सही है कि जिस रोज हंसीरा के बयान लिये गये उस दिन उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। तफतीश में मुलजिम ने हंसीरा के साथ चेन

तोड़ना किसी गवाह ने नहीं बताया था तथा उक्त साक्षी ने आगे जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसे बयानों में मुश्तगीसा ने हाथ पकड़ना ही बताया था, सलवार का नाड़ा तोड़ना व इज्जत लूटना नहीं बताया था। जिससे भी परिवादिया के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित कथन व बयानों में किये गये कथन संदिग्ध हो जाते हैं।

11. प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी के तौर पर परीक्षित कराये गये गवाहन पी.ड. 3 काडू व पी.ड. 7 साहून ने यद्यपि उक्त घटना देखना जाहिर किया है, किन्तु गवाह काडू व साहून ने अपने मुख्य परीक्षण में ही वह और साहून उस समय गुर्जरों के बास से वापस आ रहे होना बताया है, जबकि परिवादिया ने परिवाद में उक्त साक्षियों के आस–पास के खेतों में पानी दे रहा होना बताया है तथा बयानों में उक्त साक्षी मौके पर घटनास्थल पर कहां से और कैसे पहुंचे इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये हैं, बल्कि रास्ते में आना ही अंकित किया है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों ही साक्षियों का स्वयं परिवादिया हंसीरा व उसके पति जुम्मा पी.ड. 4 के बयानों से उनके परिवार के सदस्य होने से हितबद्ध साक्षी होना भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ऐसे में उक्त चक्षुदर्शी साक्षी काडू व साहून तथा परिवादिया हंसीरा के कथनानुसार उक्त साक्षियों के मौके पर पहुंचने के संबंध में आये गंभीर विरोधाभास तथा उनके हितबद्ध साक्षी होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त साक्षीगण द्वारा घटना को देखा जाना अविश्वसनीय प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य साक्षी पी.ड. 5 छुटमल को भी प्रकरण में परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन के संपूर्ण वृतान्त को नकारा है तथा अभियोजन के मामले की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका घटनास्थल के साक्षी रहे पी.ड. 9 पहलू ने भी जिरह में जिरह में पुलिस द्वारा नक्शा मौका पढकर नहीं सुनाया जाना कहा है तथा यह भी जाहिर किया है कि उसने कुछ नहीं देखा।

12. इसके अतिरिक्त परिवादिया ने प्रदर्श पी 1 में घटना की दिनांक 10.10.2026 की होना बतायी है तथा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.11.2006 को दर्ज हुई है। परिवादिया ने परिवाद में रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी जाने के संबंध में पुलिस को दूसरे दिन थाने पर जाकर रिपोर्ट देना व पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के उपरान्त न्यायालय में परिवाद पेश करना जाहिर किया है। इस संबंध में परिवाद प्रदर्श पी 1 व परिवादिया के बयानों का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि परिवादिया द्वारा यदि थाने पर जाकर दूसरे दिन रिपोर्ट दी गयी तो इस

संबंध में उसके द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि उसके द्वारा थाने पर जाकर दूसरे दिन रिपोर्ट दी गयी थी और पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर न्यायालय में इश्तगासा पेश किया गया है। जबकि ठीक इसके विपरीत स्वयं परिवादिया पी.ड. 2 हंसीरा व अन्य परीक्षित साक्षियों ने गांव में राजीनामा का दबाव होने से व राजीनामा की पंचायत होने से रिपोर्ट देरी से दर्ज कराया जाना बताया है। इसके साथ यदि परिवादिया ने जैसा कि अपने परिवाद व बयानों में उसके मुंह पर अभियुक्त द्वारा दांतों से गालों को कटने का कथन किया है तो उसके द्वारा इस संबंध में स्वयं का कोई मेडिकल कराया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है और यदि उसके गालों व छाती को दबाने से कोई चोट आयी थी तो उसके द्वारा स्वयं का कोई मेडिकल क्यों नहीं कराया गया है, ऐसे में जबकि परिवादिया ने बयानों में जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह आज वकील के बताये अनुसार ही बयान दे रही है, अधिवक्ता अपीलार्थी का उक्त तर्क माने जाने योग्य प्रतीत होता है जिसके अनुसार उनके द्वारा तर्क लिया गया कि रिपोर्ट कानूनी सलाह लेकर घटना के कई दिन बाद जरिए इश्तगासा मिथ्या दर्ज करायी गयी है। अतः परिवादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने के जो भिन्न–भिन्न कथन परिवाद व बयानों में किये गये हैं, उससे उसके द्वारा दर्ज करायी गयी घटना संदिग्ध हो जाती है, जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घटना के संबंध में खण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत की हो।

13. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **WLC (Raj.) UC 2002 Page 238** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि **दण्ड संहिता, धाराऐं 354, 457 – दोषमुक्ति–घटना 23.01.1987 की रिपोर्ट 25.01.1987 – विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं–अभियोक्त्री की एकल साक्ष्य विश्वसनीय नहीं–स्वतंत्र साक्ष्य कोई नहीं–अभियोक्त्री द्वारा कथित प्रकट कार्यों का प्रथम सूचना में उल्लेख नहीं–फटा घाघरा व कांचली पुलिस को नहीं दिये गये–अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथनों में विसंगति अभियुक्त को संदेह का लाभ देना ठीक रहा।**

2. WLC (Raj.) UC 2002 Page 90 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि **दण्ड संहिता, धाराऐं 323, 341, 354–दोषमुक्ति–अ.सा. 1 के कथन पर अविश्वास करना ठीक–अ.सा. 1 के कंधे व छाती पर कोई चोट नहीं–**

पक्षकारों के मध्य समझौते की वार्ता से किसी गुप्ता बात का संकेत–अ.सा. 4 व 1 का संबंधी व हितबद्ध–अ.सा. का कथन विश्वासोत्पादक नहीं–दोषमुक्ति मान्य।

14. इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में स्वयं प्रकरण की परिवादिया तथा चक्षुदर्शी एवं अन्य परीक्षित गवाहन के कथनों में आये गंभीर विरोधाभास तथा चक्षुदर्शी साक्षियों के हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में होने तथा प्रकरण में देरी से दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व पीड़ित के फटे हुए कपड़ों की जप्ती, मेडिकल के अभाव में अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी उपरोक्त खण्डित साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी की आरोपित अपराध में की गयी दोषसिद्धि न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश 21.02.2018 विधि एवं तथ्य की भूल से ग्रसित होना दर्शित होता है, जिससे अभियुक्त को उक्त धारा 354 भा.द.सं. के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

–: आदेश :–

15. अपीलार्थी–अभियुक्त आसम खां पुत्र नसरू उम्र करीब 43 साल निवासी नांगल खानजादी का बास थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित दोषसिद्धि निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 21.02.2018 को अपास्त किया जाता है।

16. अपीलार्थी/अभियुक्त जमानत पर है, अतः उसके हजारी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

17. निर्णय की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

(गोपाल सैनी)

18. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)